प्रेस नोट दिनांक 30.09.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2025,
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज में चोरी का पर्दाफाश—वादी द्वारा दी गई झूठी सूचना, स्वयं गहने चोरी कर छुपाने का खुलासा, आभूषण बरामद

थाना रानीगंज में चोरी का पर्दाफाश—वादी के कर्ज के कारण रची गई चोरी की साजिश, स्वयं गहने छुपाए, आभूषण बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 28.09.2025 को वादी निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ के घर मे से अज्ञात चोरो ने वादी की पत्नी तथा भाभी के गहने चुरा ले गये। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 339/25 धारा 305/331(3) BNS बनाम अज्ञात चोर का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 साधू राम, मु0आ० अमरनाथ यादव, मुख्य आरक्षी राजेश गुप्ता, आरक्षी मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 339/25 धारा 305/331(3) BNS से संबंधित 01 अभियक्त प्रदीप उर्फ पिन्टू यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रातंर्गत ग्राम कसेरुआ अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी के सफेद व पीली धातु के कुल 16 आभूषण बरामद किये गये जो निम्नवत् है-
एक झूमका जोडी(पीली धातू), 01 अदद करधनी (पीली धातू), 01 जोडी पायल (सफेद धातू), 01 जोडी बिछिया(सफेद धातू), एक जोडी कडा पैर का (सफेद धातू), कडा पैर का 11 पीस (सफेद धातू), 01 अदद हार गले का (पीली धातु), 01 अदद मांगटीका(पीली धातु), 01 अदद करधनी(सफेद धातु), 01 जोडी पुराना पायल(सफेद धातु), 01 अदद 03 लरकी गले की चैन(सफेद धातु), 01 जोडी कान की छोटी बाली (पीली धातु), 01 अदद नाक की कील(पीली धातु), 01 अदद गले की चैन (पीली धातु), 01 अदद अंगूठी (पीली धातु), 01 अदद सलाई (पीली धातु) आदि बरामद की गई। जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317 (2)/217 BNS की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, शादी मे मेरे कुछ अपने खर्चे थे जिसके लिए मैने अपने भाई से पैसा मांगा था लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया था। तब मैंने कुछ पैसे अपने लोगो से उधार

ले लिया था तथा उन लोगो से कहा था कि दो महिने बाद मै पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन जब मै पैसा वापस नही कर पाया तब वह लोग मुझसे पैसा मांगने लगे मै बहुत परेशान हो गया था। इसलिए मैने वर्तमान में चल रहे चोरी की अफवाह का फायदा उठाते हुए यह योजना बनाया कि क्यो न इस अफवाह का लाभ उठाते हुए घर मे रखे गहनो को चुराकर कही छिपा कर रख दूं तथा सबको यह बता दूं कि मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गये है तथा बाद मे गहनो को बेचकर कर्ज भर दूंगा।

दिनांक 28/09/2025 को समय करीब 2 से 3 बजे के मध्य दोपहर जब मेरी पत्नी तथा मेरी माँ आवश्यक कार्य हेतु खेत में गई थी। तब मैने घर के सारे कपडे आलमारी बक्से खोलकर सारे कपडे तितर- बितर कर दिया तथा अपने भाई रमेश यादव के कमरे मे रखे बक्से की रिपिट को खोलकर उसमें, का सामान भी तितर बितर व अन्य कपडे आदि को इस तरह तितर बितर कर दिया कि देखने से यह प्रतीत हो कि घर में चोरी हुई है तथा यह करने के बाद मैं रोजाना की भांति कछरा का पुल मेडिकल स्टोर पर चला गया, जहा मैं काम करता हूं। कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने फोन करके बताया कि घर में चोरी हो गयी है। तब मै अपने घर गया तथा इसी चोरी की झूठी सूचना मैने 112 नम्बर पर दिया तथा चोरी की लिखित झूठी सूचना देकर मैने थाने पर अपना मुकदमा लिखाया है।

अब मै आपसे झूठ नही बोल रहा हूं मैने सारे गहनो को चुराकर एक मिट्टी के बर्तन में रखकर अपने ही कच्चे घर मे मिट्टी के अन्दर छुपाकर रखा हूं। यदि आप चाहे तो मै उसे चलकर बरामद करा सकता हूं। अभियुक्त की निशानदेही पर सफेद-पीली धातु के आभूषण बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
प्रदीप उर्फ पिन्टू यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 साधू राम, मु0आ० अमरनाथ यादव, मुख्य आरक्षी राजेश गुप्ता, आरक्षी मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2025
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्त के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह,कां0 अनिल यादव प्रथम व का0 अजीत सिंह यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 171/2025 धारा 2/3यू0पी0 गैंग एक्ट

थाना कुण्डा से संबंधित 01 अभियुक्त इसरार उर्फ मन्नान पुत्र स्व० मो0 फारुक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम आजाद नगर कस्बा करारी थाना करारी जनपद कौशाम्बी को अभियुक्त के घर आजाद नगर कस्बा करारी से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01 अभियुक्त इसरार उर्फ मन्नान पुत्र स्व० मो0 फारुक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम आजाद नगर कस्बा करारी थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम सिंह,कां0 अनिल यादव प्रथम व का0 अजीत सिंह यादव थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर व स्पेशल टीम की संयुक्त बड़ी कार्यवाही – 116 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ स्मैक व 25 ग्राम अवैध एम0डी0 (Methamphetamine Drugs) बरामद , 01 अभियुक्त गिरफ्तार

जिसमें 116 ग्राम स्मैक की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 8,00,000/-(आठ लाख रुपये) एवं 25 ग्राम एम0डी0 की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 2,500,000/-(पच्चीस लाख) रुपये है-

थाना लीलापुर व स्पेशल टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पतुलकी तिराहा के पास से अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण/नेतृत्व में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मय हमराह व स्पेशल टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी/नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

दिनांक 30.09.2025 को थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 सुश्री ज्योति सिंह, उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव, उ0नि0 श्री पवन वर्मा, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 कुन्दन शर्मा का0 हरेन्द्र कुमार, का0 प्रवीण कुमार, मय चालक का0 योगेश व स्पेशल टीम के हे0का0 महेश कुमार सिंह, का0 बजेश सिंह, का0 बीरेन्द्र यादव, का0 आनन्द यादव, का0 चालक कुँवर मोहन सिंह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत पतुलकी तिराहा के पास से 01 अभियुक्त राजेश उर्फ रोहित सिंह पुत्र

गिरजा शंकर सिंह निवासी ग्राम अजमतुलागंज थाना हरिचन्दपुर जनपद रायबरेली उम्र करीब 32 वर्ष को कुल 116 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ स्मैक व 25 ग्राम अवैध एम0डी0 (Methamphetamine Drugs) के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व 04 अदद की-पैड मोबाइल बरामद किये गये। अन्य 01 अभियुक्त मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

अभियुक्त के कब्जे से उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 260/25 धारा 8/22C NDPS Act बनाम 01- राजेश उर्फ रोहित सिंह, 2- अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ विवरण -
पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास जो बैग है स्मैक व एम.डी. नशीला पदार्थ को इसी मोटर साइकिल से बेचने हम दोनों जा रहे थे। स्मैक व एम.डी. नशीला पदार्थ को बेचकर हम दोनों अपना जीविकोपार्जन करते हैं। साहब ये स्मैक व एम डी अनिल सिंह ही कहीं से लाता है किन्तु पैसे हम दोनों का बराबर बराबर लगता है तथा बेचने से जो लाभ होता है उसे हम दोनों आपस में बारबर बराबर बांट ले लेते हैं। मौके से भागे गये व्यक्ति का नाम अनिल सिंह पुत्र रामलौट सिंह नि० ग्राम बैजलपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ बताया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- राजेश उर्फ रोहित सिंह पुत्र गिरजा शंकर सिंह निवासी ग्राम अजमतुलागंज थाना हरिचन्दपुर जनपद रायबरेली उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी-
01- कुल 116 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ स्मैक व 25 ग्राम अवैध एम0डी0 (Methamphetamine Drugs) घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 04 अदद की-पैड मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम-
थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 सुश्री ज्योति सिंह, उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव, उ0नि0 श्री पवन वर्मा, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 कुन्दन शर्मा का0 हरेन्द्र कुमार, का0 प्रवीण कुमार, मय चालक का0 योगेश व

स्पेशल टीम- हे0का0 महेश कुमार सिंह, का0 बजेश सिंह, का0 बीरेन्द्र यादव, का0 आनन्द यादव, का0 चालक कुँवर मोहन सिंह थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

“नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

श्री दीपक भूकर

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक-30.09.2025
थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा मारपीट, धमकी, कूटरचित दस्तावेज/धोखाधड़ी के अभियोग से संबंधित 01अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादी कमलेश कुमार सरोज सुत राम प्रसाद सरोज निवासी ग्राम कौलापुर परगना पट्टी तहसील रानीगंज थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ की भूमि को आरोपीगणों द्वारा कूटरचित दस्तावेज से बैनामा करा लेना व जानकारी करने पर मारपीट व धमकी देने के प्रकरण में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0-117/25 धारा-115(2)/352/351(3)/318 (4)/319(2)/336 (3) /338/340 (2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल तथा क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर प्रभारी श्री प्रदीप कुमार मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी व म0का0 करिश्मा सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर के मु0अ0सं0- 117/25 धारा-115 (2)/352/351 (3)/318(4)/319 (2)/336 (3)/338/340 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त रामआसरे पुत्र हजारीलाल उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम रहेटुआ परसरामपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत आर.एस इन्टरनेशनल स्कूल रहेंदुआ परसरामपुर के पूर्व दिशा में कच्चे मार्ग पर नाले से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामआसरे पुत्र हजारीलाल उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम रहेटुआ परसरामपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह का0 आशुतोष तिवारी व म0का0 करिश्मा सरोज थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।